"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 592] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020 — कार्तिक 20, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्र. एफ 4—14/2017/29—1.— आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 (1955 का 10) की धारा 3 सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्र. का.आ. 3776 (अ), दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा; छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बन्धन) आदेश, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में, —

1. अनुसूची—दो में, सरल क्रमांक—5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

स. क्र.	अनुसूचित वस्तु	नगर की श्रेणी	व्यापारी (क्विंटल)	कमीशन अभिकर्ता (क्विंटल)	प्रसंस्करणकर्ता
"5.	प्याज	समस्त	250	20	

परन्तु आयातक, चाहे वह व्यापारी अथवा कमीशन अभिकर्ता हो, को प्याज के आयातित स्टॉक के संबंध में छूट प्राप्त होगी।

2. यह संशोधन तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

3. उपरोक्त स्टाक सीमा 31 दिसंबर 2020 की अवधि तक प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 अक्टूबर 2020

क्र. एफ 4–14/2017/29–1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 24th October 2020

NOTIFICATION

No. F 4-14/2017/29-1.— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and vide Order No.S.O.3776 (E), dated 23rd October,2020 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Scheduled Commodities Dealers (Licensing and Restriction on Hoarding) Order, 2009, namely:-

AMENDMENT

In the said order,-

1. In Schedule-II, for serial number 5 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

S. No.	Scheduled commodity	Category of city	Dealer (Qtls.)	Commission Agent (Qtls.)	Processor
"5.	Onion	All	250	20	

Provided that an importer, being a trader or a commission agent shall be exempted for the imported stock of onions."

2. This amendment shall come into force with immediate effect.
3. The above stock limit shall be effective till 31 December 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.